न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 14/2019

आरसीएमएस **नम्बर : 2019/00030**

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी :–**
मूलचन्द पुत्र सरेमल नाहर, जाति जैन, निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		ग्राम पंचायत जाणुन्दा मार्फत सरपंच ग्राम जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन चौहान
अप्रार्थी अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.02.2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कायम मिसल संख्या 20/2011–12 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 5 दिनांक 17.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा भुखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत जाणुन्दा के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 20/2011–12 दिनांक 10.02.2012 को कायम की गई। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना में जारी नहीं कर, बिना नियमों की पालना के जारी किए गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। नियम 148 के तहत आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया, उस पर दिनांक का अंकन नहीं है तथा उक्त नोटिस रूबरू मौतबिरानों के भूखण्ड के समक्ष सहज दृश्य स्थान पर चस्पा नहीं किया गया। इसके पश्चात दिनांक 06.06.2013 की आदेशिका में अंकित है कि नियम 148 के तहत कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने पर दो साक्षी स्वयं द्वारा 10/– रू. के स्टाम्प नोटेरी करवा कर शपथपत्र पेश किए, जो पत्रावली संलग्न नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आवेदन करने पर ग्राम पंचायत पंचायती राज [illegible] पालना नहीं कर आनन–फानन में नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया, जिससे कि प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे का न तो नवीनीकरण करवाया जा सकता है न ही [illegible] रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है तथा न ही उक्त पट्टे का [illegible] उपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:53 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है तथा प्रार्थी स्वयं अपने नाम जारी विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की पालना में जारी किया है या नहीं। मूल रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करवाना चाहता है, उसके संबंध में किया गया आवेदन मिसल के संलग्न नहीं है, जबकि बिना आवेदन पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जो नोटिस दिया गया, वह किस दिवस जारी किया गया, दिनांक का अंकन नोटिस पर कहीं नहीं है तथा उसके पुस्त भाग पर पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन किन मौतबिरानों के समक्ष चस्पा किया गया, यह अंकित नहीं है, साथ ही जिस भूखण्ड या मकान का पट्टा जारी करवाने का आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके पास सहजदृश्य स्थान पर दो मौतबिरानों के समक्ष चस्पा करना चाहिए, जो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थी के नाम दिनांक 17.05.2014 को पट्टा जारी किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है, वह दिनांक 24.07.2014 का है, जो आपस में विरोधाभाषी है। जैर निगरानी पट्टा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 की पालना में जारी किया गया है, जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.07.2013 के प्रस्ताव संख्या 3 में मिसल संख्या 20/2011–12 का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में जो विक्रय विलेख जारी किया है, वह पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरूद्ध जाते हुए जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 20/2011–12, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 17.05.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथा मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत जाणुन्दा को भिजवाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:20:53 IST
Reason: SelfAttested